समाहरणालय, मधुबनी

(जिला आपदा प्रबंधन शाखा)

सार्वजनिक नीलामी सूचना संख्या-- 01/ 2018

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बाढ़ 2017 से प्रभावित परिवरों को फुड पैकेट उपलब्ध कराने हेतु क्रय किये गये सामग्री में से अवशेष निम्न सामग्री जो वाट्शन उच्च विद्यालय के एक कमरा में रखा हुआ है तथा इसका अब इस कार्यालय में कोई उपयोग नहीं रह गया है को बर्वादी से बचाने तथा विद्यालय के कमरा को खाली करने के उदेश्य से मूल्य निर्धारण समिति के अनुशंसा के आधार पर सार्वजनिक नीलामी दिनांक-- 16.05.2018 को 11.30 बजे में सामग्री स्थल पर मूल्य निर्धारण समिति के सदस्यों के समक्ष की जाएगी।

--:सामग्रियों का विवरण:--

क्रमांक	सामग्री नाम	मात्रा	न्यूनतम निर्धारित दर	अग्रधन की राशि
1	2	3	4	5
1	चावल (अरवा)	4.00 क्विंटल लगभग	15.00 रूपये प्रति किलो (वजन करके)	1500.00 रूपये
2	पॉलिथीन थैला (1 किलो, 2 किलो एवं 5 किलो सामग्री रखने वाला)	22 बैग (प्रति बैग लगभग 25 किलोग्राम	100.00 रूपये प्रति किलो (वजन करके)	11000.00 रूपये
3	बोरा (जूट का)	5863 पीस लगभग	10.00 रूपये प्रति पीस (गिनती के अनुसार)	12000.00 रूपये
4	बोरा प्लास्टिक का	1500 पीस लगभग	2.00 रूपये प्रति पीस (गिनती के अनुसार सभी साईज का)	1000.00 रूपये

नीलामी की शर्तें:--

1. नीलामी में भाग लेनेवाले इच्छुक व्यक्ति को अग्रधन के रूप में कंडिका 5 के अनुसार राशि नगद/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जिला पदाधिकारी, मधुबनी के नाम से नीलामी के पूर्व जिला नाजारत, मधुबनी में जमा करना होगा। आम नीलामी में असफल व्यक्ति को नीलामी के तत्काल बाद अग्रधन की राशि के रूप में जमा राशि/बैंक ड्राफ्ट लौटा दिया जायेगा तथा सफल व्यक्ति के अग्रधन की राशि को नीलामी के तय राशि में समायोजित कर ली जायेगी।
2. नीलामी में उच्चतम बोली लगानेवाले क्रेता के साथ उसी स्थिति में नीलामी अंतिम रूप में स्वीकार की जायेगी, जब वह राशि न्यूनतम निर्धारित राशि के समतुल्य या अधिक हो।
3. सफल बोलीदाता को उच्चतम बोली की सम्पूर्ण राशि तत्काल नगद/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा।
4. जो सामग्री जहाँ, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में गिनती/वजन करके लेना होगा। सफल नीलामी वाले व्यक्ति को बोरा आदि की गिनती एवं पॉलीथीन थैला तथा चावल का वजन अपना मजदूर रख कर प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मी के समक्ष करनी होगी तथा संख्यॉं एवं मात्रा के अनुपात में मूल्य का भुगतान करना होगा।
5. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक क्रेता नीलामी के तिथि के पूर्व कार्यालय अवधि में जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय, समाहरणालय, मधुबनी से सम्पर्क कर संबंधित स्थल पर जाकर सामग्री को देख सकते हैं।
6. जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पास नीलामी की प्रक्रिया को किसी भी वक्त रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा, जिसे किसी न्यायालय एवं उच्चाधिकारी के समक्ष चुनौती नहीं दी जाएगी।
7. इस नीलामी से संबंधित जानकारी जिला पदाधिकारी, मधुबनी के वेबसाईट dm-madhubani. bih@nic.in पर भी देखा जा सकता है।

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।